न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः– डॉ. राकेश कुमार शर्मा आर.ए.एस.

अपील संख्या 3/2015

हुकमाराम पुत्र कुम्माराम जाति नायक निवासी चक 2 बी.एस.एम. तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर। —— अपीलांट

बनाम

1. महेन्द्र सिंह पुत्र जगतसिंह जाति जटसिख निवासी चवक 2 यु.एस.एस. तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व अनूपगढ। —रेस्पॉडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज.भू राजस्व अधि. 1956

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ दिनांक 29.09.2014

उपस्थिति–

श्री मनोहरलाल अरोडा अभिभाषक अपीलांट

श्री गुरप्रताप सिंह अभिभाषक रेस्पों. सं. 1

श्री वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक– 22/7/19

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी महेन्द्र सिंह ने उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ के समक्ष एक प्रा.पत्र अन्तर्गत नियम 8(2) सामान्य कॉलोनी शर्तें के तहत पेश कर चक 2 यू.एस.एस. के मु.नं. 272/416 के कि.नं. 21 में सरकारी रास्ता जो कि मु.नं. 273/415 चक 2 यु.एस.एस. के कि.नं. 21 ता 25 में है के सामने 16 X 25 फुट कृषि भूमि को गैर मुमकिन रास्ता घोषित किया जावे व अप्रार्थी सं. 1 को पाबन्द किया जावे कि वह उक्त रास्ता के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी न करे।

(A) अधी.न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनकर तथा तहसीलदार रिपोर्ट प्राप्त होने पर आदेश दिनांक 29.09.2014 से प्रार्थी महेन्द्र सिंह को अपनी खातेदारी कृषि भूमि चक 2 यू.एस.एस. मु.नं. 272/416 में आने जाने के लिए अप्रार्थी सं. 1 हुकमाराम की कृषि भूमि चक 2 यू.एस.एस का मु.नं. 272/415 के कि.नं. 21 से

2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने के आदेश दिये तथा अप्रार्थी सं. 2 तहसीलदार अनूपगढ को आदेशित किया कि उक्त निर्णय की पालना में उक्त रास्ता की एवज में प्रार्थी द्वारा डीएलसी दर की उच्चतम दर से अप्रार्थी सं. 1 हुकमाराम को बतौर मुआवजा भुगतान करने के पश्चात ही अमल दरामद किया जावे।

(B) उक्त आदेश से व्यथीत होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की है। अपील के साथ अपीलांट ने दफा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

(a) विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधी.न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। अपीलांट ने अपने नाम की कृषि भूमि के कि.नं. 21 में कोई रास्ता रेस्पों. सं. 1 को नहीं दिया हुआ है। अधी. न्यायालय ने अपनी मनमर्जी से अपीलांट के कि.नं. 21 में रास्ता स्वीकृत किया है जबकि इस सम्बन्ध में किसी तरह का कोई लिखित प्रा.पत्र अथवा अन्य किसी तरह की कोई सहमति नहीं है। अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 02.12.2014 से हल्का पटवारी से हुई। इस पर नकल प्राप्त कर बिना देरी किये दफा 5 मियाद अधि. नियय के प्रा.पत्र मय शपथ पत्र अपील पेश कर दी। देरी बाबत समुचित कारण दफा 5 के प्रा.पत्र में अंकित किये गये है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट अन्दर शुमार करने के आदेश प्रदान करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

(b) विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि अधी. न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अधी. न्यायालय ने तहसीलदार की रिपोर्ट का गहन अवलोकन करने के उपरांत ही रास्ते की आवश्यकता को देखते हुए रास्ता स्वीकृत किया है। इसके अलावा अपीलांट ने यह अपील तीन माह बाद पश्चात पेश की है। अतः अपील मियाद बाहर होने से भी खारिज किये जाने योग्य है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट खारिज की जावे।

3. हमने उभयपक्ष की बहस एवं अधी. न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.09.2014 का अवलोकन किया।

(I) अपीलांट ने अपील मियाद बाहर प्रस्तुत कर स्थगन दिनांक 09.01.2015 को एकतरफा रूप से प्राप्त किया, तब से 4 साल से अधिक व्यतीत होने पर भी मामला अनिर्णित है।

(II) अधी. न्यायालय ने नियम 8(2) सामान्य कॉलोनी शर्तों के अधीन प्रार्थी के हक में तहसीलदार रिपोर्ट प्राप्त कर मु.नं. 273/415 के कि.नं. 21–25 से होकर मु.नं. 272/415 के कि.नं. 21 तक पूर्व में स्वीकृत रास्ते तथा मु.नं. 272/416 में आने–जाने के लिये अप्रार्थी हुकमाराम की कृषि भूमि 272/415 के कि.नं. 21 में से 2–2 बिस्वा रास्ता प्रतिकार निर्धारित कर रास्ते का आदेश जारी किया।

(III) आदेश से पूर्व दोनों पक्षों को सुना गया। अप्रार्थी ने स्वयं उक्त अपने कि.नं. 21 से प्रार्थी महेन्द्र सिंह को रजामंदी से रास्ता छोड़ रखा है व मौके पर चल रहा रिपोर्ट किया गया है।

(IV) अधी. न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिये किसी कानूनी बिन्दु को नहीं उठाया। अपीलांट ने स्वयं रजामंदी जाहिर की है व पूर्व में रास्ता छोड रखा था, साथ ही अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की। फलस्वरूप अपील खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 22/7/19 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर